13.04.2026

झाझा थाना कांड संख्या–47 / 2021, जो भा0द0वि0 की धारा 366(ए) से संबंधित है, कि अभियुक्त **रवीन्द्र कुमार ठाकुर उर्फ रवीन्द्र कुमार,** उम्र लगभग 26 वर्ष, पिता–शिवदानी ठाकुर, निवासी साकिन ग्राम–भंडार, थाना–चानन, जिला–जमुई की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के अंतर्गत यह आवेदन इस काण्ड में गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर अग्रिम जमानत प्राप्ति हेतु दाखिल किया गया है।

कांड की सूचिका बबीता देवी के द्वारा थानाध्यक्ष झाझा को दिए गए लिखित आवेदन के अनुसार अभियोजन कथानक साररूप से इस प्रकार है कि उसकी पुत्री उम्र 17 वर्ष अपनी नानी के घर ग्राम सोहजना थाना झाझा जिला जमुई मे रहकर पढती थी। दिनांक–06.02.2021 को समय करीब 6:30 बजे संध्या में नानी के घर पर कोई नहीं था। उसी समय रवीन्द्र कुमार ठाकुर, शिवदानी ठाकुर, वीणा देवी, आशा देवी ये सभी उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर शादी की नियत से भगा कर ले गये। उसने अपने स्तर से काफी खोजबीन किया किंतु उसकी पुत्री नहीं मिली। फलतः उसने दिनांक–19.02.2021 को थाना में आवेदन दिया।

जमानत आवेदन में साररूप से कथन किया गया है कि आवेदक अभियुक्त की ओर से इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त कोई अन्य जमानत आवेदन ना ही सत्र न्यायालय में और ना ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन में आगे कथन किया गया है कि आवेदक अभियुक्त का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक अभियुक्त निर्दोष हैं, उसने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। उसे ग्रामीण राजनीति के कारण झूठा फंसाया गया है।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन में उल्लिखित आधारों पर आवेदक अभियुक्त को जमानत प्रदान करने का अनुरोध किया।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का घोर विरोध किया। उनका कथन है कि कथित अपहृता की मृत्यु हो चुकी है। मामले में अनुसंधान जारी है। अतः आवेदक अभियुक्त, जिसपर सूचिका की पुत्री के अपहरण का स्पष्ट आरोप है, को अग्रिम जमानत प्रदान करना न्यायोचित नही है।

मैंने अभिलेख संहित कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राथमिकी के अनुसार आवेदक अभियुक्त पर कांड की सूचिका की अवयस्य पुत्री को शादी की नियत से भगाकर ले जाने का आरोप है। कांड दैनिकी के पैरा–3 में सूचिका बबिता देवी का पुनः बयान दर्ज है। अपने पुनः बयान में सूचिका ने कथन किया है कि उसकी पुत्री उम्र 17 वर्ष अपनी नानी के घर ग्राम सोहजना थाना–झाझा, जिला जमुई में रहकर पढाई करती थी। दिनांक–06.02.2021 को जब उसकी पुत्री के नानी के घर कोई नहीं था तो अभियुक्त शादी के नियत से बहला फुसलाकर ले गया। खोजबीन करने पर उसकी पुत्री नहीं मिली। कांड दैनिकी के पैरा–4 में राजकुमार ठाकुर, जो सूचिका का पति है, का बयान दर्ज है। उसने अपने बयान में प्राथमिकी का पूर्ण समर्थन किया तथा कथन किया है कि उसकी नतनी उसके घर में रहकर पढ़ाई करती थी दिनांक 6.2.2021 को उसकी पत्नी शाम में झाझा बाजार गयी थी, घर पर नतनी अकेली थी, जब उसकी पत्नी लौटकर आयी तो नतनी घर में नही थी तो उसकी पत्नी ने इसकी सूचना नतनी के माता पिता को दी। कांड दैनिकी के पैरा–10 में सूचिका की मॉ का बयान दर्ज है। सूचिका की मां (रेणू देवी) ने भी अपने बयान में प्राथमिकी का पूर्ण समर्थन किया है। कांड दैनिकी के पैरा–5, 10 में सूचिका के पिता लक्ष्मण, भाई संजीत ठाकुर का बयान दर्ज है, इन्होंने भी अपने अपने बयान में प्राथमिकी का पूर्ण समर्थन किया है। कांड दैनिकी के पैरा–41 से विदित होता है कि थानाध्यक्ष झाझा को कथित अपहृता के पिता राजकुमार ठाकुर द्वारा सूचित किया गया कि कथित अपहृता की पुष्पांजली अस्पताल, जमुई में मृत्यु हो गई है। कांड दैनिकी के पैरा–45 में कथित अपहृता का मृत्यु समीक्षा रिर्पोट (Inquest report) दर्ज है। कांड दैनिकी के पैरा–48 में सिंटू कुमार ठाकुर, जो कांड की सूचिका का पुत्र है, का बयान दर्ज है। सिंटू ने अपने बयान में कथन किया है कि उसकी फुआ सोभा देवी, जो जमुई में रहती है, ने उसे सूचित किया कि अपहृता को **रविन्द्र कुमार ठाकुर (आवेदक अभियुक्त),** धर्मेन्द्र ठाकुर दोनों पुत्र शिवदानी ठाकुर और शिवदानी की पत्नी वीणा देवी को लाई थी। अपहृता काफी बीमार थी, इलाज कराने के लिए लेकर चले गये है। इस सूचना पर वह अपनी बहन (कथित अपहृता) को खोजने के लिए अपने माता पिता के साथ जमुई आया और खोजबीन के क्रम में वह पुष्पांजली अस्पताल गया। जहां पाया कि उसकी बहन आई0सी0यू0 में भर्ती और बोलने में असमर्थ

है। कांड दैनिकी के पैरा–56 में कथित अपहृता का अन्त्य परीक्षण (Post mortam) दर्ज है। अन्त्य परीक्षण (Post mortem) साररूप से निम्न प्रकार है।

External apperance :- No any external injury found on any part of the body except IV Cannual mark present on Rt. hand, Rt. leg and Lt. elbow.

On Dessection :- Skull- NAD, Thorax-NAD, Abdomen-NaD

Uterus:- Gravid uterus of about 24 week of size containing male dead foetus.

Preserve Viscera :- Viscera is preserve in common salt solution in sealed plastic bottle for chemical analysis handed over to choukidar 11/08 Ramchanrda Yadav with mobile no. 9973096565.

Cause of death :- Could not be established.

Time elapsed since death :- Time elapsed since death till holding P.M. examination is within 24 (Twenty four) hours.

कांड दैनिकी के पैरा–109 में सदर अस्पताल जमुई के चिकित्सक डॉ देवेन्द्र कुमार का कथित अपहृता के चिकित्सीय प्रतिवेदन का उल्लेख है, जो निम्न प्रकार है–

i. No any external injury found on any part of the body except. Can not mark present on Rt. leg and Rt. hand and Lt. elbow on Sissection:-NAD. Except. Uterus- Gravid uterus of about 24 week of size containing male dead foetus. Post Mortem was done on 19-11-2021 at 5:00 PM at sadar Hospital, Jamui.

FSL report shows no metalic, alkaloidal, Glycosidal, pesticidal and volatile poision could be detected in viscera. So the cause of

death in his opinion is cardio respiratory failure due to cardiogenic shock. मामले के अवलोकन से विदित होता है कि कथित अपहृता की मृत्यु हो चुकी है। मामले में अनुसंधान जारी है। अतः आवेदक अभियुक्त, जिसपर विवाह के लिये कथित अपहृता को अपहरण करने का आरोप है, को अग्रिम जमानत प्रदान करना, मेरे विचार से उचित नही है। अतः अग्रिम जमानत का यह आवेदन अस्वीकृत (Reject) किया जाता है।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह
सह विशेष न्यायालय, जमुई।

Web copy